

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 02.08.2024

निर्णय उद्घोषित : 13.08.2024

वै.अ. (प.न्या.) 261/2023 व सि.वि.आ. 46373/2023

रुचि वधावन

.....अपीलार्थी

द्वारा: डॉ. आशुतोष, सुश्री स्वाति गुप्ता,
सुश्री मोनल व सुश्री फातिमा,
अधिवक्तागण सह व्यक्तिगत रूप से
अपीलकर्ता

बनाम

अमित वाली

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सुमित कुमार खत्री, अधिवक्ता
सह व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्थी

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल

[भौतिक सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध अनुसार)]

न्या. अमित बंसल,

1. वर्तमान अपील विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्वी जिला, कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली (इसके बाद, "परिवार न्यायालय") द्वारा पारित

दिनांक 4 मार्च, 2023 के निर्णय पर आक्षेप करते हुए दायर की गई है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद से एच.एम.ए.) की धारा 13(1)(क) के तहत अपीलार्थी पत्नी द्वारा दायर की गई याचिका, जिसमें क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया गया।

2. वे संक्षिप्त तथ्य जिनके कारण वर्तमान याचिका दायर की गई नीचे दिए गए हैं :-

2.1. अपीलार्थी ने दिनांक 27 अप्रैल, 2008 को हिंदू रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार प्रत्यर्थी/पति के साथ विवाह किया। विवाह के समय अपीलार्थी एमसीडी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी।

2.2. तत्पश्चात, पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद के कारण, अपीलार्थी ने 25 अप्रैल, 2012 को ससुराल छोड़ दिया।

2.3. उक्त विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई।

2.4. दिनांक 8 नवंबर, 2012 को अपीलार्थी ने एच.एम.ए. की धारा 13(1)(क) के तहत हि.वि.अ. सं. 201/2018 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की गई।

2.5. उपरोक्त याचिका में अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ क्रूरता की विभिन्न घटनाओं का आरोप लगाया है, जिसमें निम्न शामिल हैं :-

- i. प्रत्यर्थी शराब पीने का आदी था तथा जुआ खेलने जैसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त था।
- ii. प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्य अपीलार्थी के प्रति झगड़ालू और गाली-गलौज करने वाले थे।
- iii. प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने अपीलार्थी और उसके परिवार पर उपहार और नकद रकम के रूप में दहेज देने के लिए दबाव डाला।
- iv. प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा अर्जित वेतन को जुए और अपने पुराने कर्जों को चुकाने में खर्च किया। इस संबंध में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860, (भा.दं.सं.) की धारा 406/420/120ख के तहत आप.शि. सं. 260/2013 के रूप में एक शिकायत वाद भी दायर किया है, जो अभी भी विचारण हेतु लंबित है।

2.6. प्रत्यर्थी ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर लिखित बयान में क्रूरता के सभी उपरोक्त उदाहरणों से इनकार किया।

3. परिवार न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने तथा पक्षों की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना करने के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी याचिका में लगाए गए क्रूरता के आरोपों को साबित नहीं

कर सकी, और इसलिए, इसने उक्त निर्णय के माध्यम से याचिका को खारिज कर दिया।

4. वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा परिवार न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए तथा पक्षों के बीच विवाह विच्छेद की मांग करते हुए दायर की गई है।

5. वर्तमान अपील में नोटिस पूर्ववर्ती पीठ द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2023 को जारी किया गया था।

6. यह अपील दिनांक 1 मार्च, 2024 को इस पीठ के समक्ष आई और पक्षकारों की सहमति से मामले को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के प्रयास के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र [इसके बाद “मध्यस्थता केंद्र”] को भेजा गया।

7. दिनांक 9 मई, 2024 को यह उल्लेख किया गया कि पक्षकारों के बीच मध्यस्थता की कार्यवाही विफल हो गई है। तदनुसार, पक्षकारों को अपने तर्कों के समर्थन में लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का निर्देश दिया गया, जो दोनों पक्षों द्वारा विधिवत दायर की गई हैं।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं :-

- I. पिछले बारह वर्षों से दोनों पक्ष अलग-अलग रह रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच का वैवाहिक संबंध लंबे समय से अलग रहने तथा प्रत्यर्थी की ओर से की गई क्रूरता के कारण ठीक हो पाने की हद

से परे तक टूट चुका है। इसलिए, दोनों पक्षकारों को वैवाहिक संबंध में बांधे रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

II. प्रत्यर्थी ने आपसी सहमति से तलाक देने पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में प्रत्यर्थी इससे पीछे हट गया। इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 15 मार्च, 2022 को भेजे गए ईमेल का हवाला दिया गया है।

III. इस विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई है, इसलिए वर्तमान विवाह के विघटन से किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

IV. अपीलार्थी भरण-पोषण या गुजारा भत्ता दिए जाने पर जोर नहीं दे रही है तथा वह केवल प्रत्यर्थी से तलाक चाहती है।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से पेश अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दोनों पक्ष दिनांक 2 फरवरी, 2020 से दिनांक 30 जनवरी, 2024 तक संपर्क में रहे हैं और इसलिए, वैवाहिक संबंध की बहाली की संभावना अभी भी मौजूद है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित निर्णय पारित होने के बाद, प्रत्यर्थी ने दांपत्य अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए एच.एम.ए. की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान अपील में नए तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें पहले विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

10. हमने पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है। दोनों पक्षों ने अपने तर्कों के समर्थन में लिखित प्रस्तुतियां भी दाखिल की हैं।

11. वर्तमान मामले के अभिलेख से जो निर्विवाद तथ्य सामने आए हैं, वे यह हैं कि दोनों पक्षकारों की शादी दिनांक 27 अप्रैल, 2008 को हुई थी और वे केवल दिनांक 25 अप्रैल, 2012 तक ही एक साथ रहे। इसके बाद, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी का साथ छोड़ दिया और दिनांक 8 नवंबर, 2012 को तलाक की कार्यवाही [हि.वि.अ. सं. 201/2018] संस्थित की, जिसका विनिश्चय आक्षेपित निर्णय द्वारा किया गया।

12. आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि परिवार न्यायालय ने क्रूरता की विभिन्न घटनाओं की गहन जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी द्वारा अपने अभिवचन के समर्थन में ठोस सबूत पेश करके उक्त आरोपों को साबित नहीं किया जा सका। इस संबंध में परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष नीचे प्रस्तुत किए गए हैं :-

“74. इस प्रकार संक्षेप में, यह एक ऐसा मामला है जिसमें याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के कहने पर क्रूरता के अपने प्रकथनों के संबंध में साक्ष्य के अपने दायित्व का निर्वाह करने में असमर्थ रही है। केवल इसलिए कि एक तथ्य आरोपित किया गया है, इसे बिना किसी साक्ष्य के क्रूरता के रूप में नहीं समझा जा सकता है क्योंकि जो किसी के लिए क्रूरता का कार्य हो सकता है, वह किसी और के लिए नहीं हो सकता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता की मौखिक गवाही भी मान्य हो सकती थी, अगर उसने अपने अभिवचनों के अनुसार मौखिक साक्ष्य पेश किए होते। हालांकि, साक्ष्य में उसके संक्षिप्त शपथपत्र ने उसकी मुख्य परीक्षा को सीमित कर दिया, जिससे विभिन्न पहलु छूट गए हैं और जिससे उसकी गवाही में विरोधाभासों और सुधारों की संभावना हो गई है। यह भी देखा गया है कि प्रत्यर्थी ने तब भी साक्ष्य पेश किए हैं, जब उस पर कभी भी यह दायित्व नहीं था, जबकि याचिकाकर्ता ने सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य को दबा कर रखे रखा।”

13. **समर घोष बनाम जया घोष**, (2007) 4 एससीसी 511 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस सवाल पर विस्तार से विचार किया है कि “मानसिक क्रूरता” क्या होती है। उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि दोनों पक्षकार साढ़े सोलह साल से अलग-अलग रह रहे थे और इस अवधि में उन्होंने एक साथ कोई समय नहीं बिताया। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ-साथ विदेशी न्यायशास्त्र, जिसमें इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के निर्णय शामिल हैं, का विश्लेषण करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा :-

"95. एक बार जब पक्षकार अलग हो जाते हैं और अलगाव काफी समय तक जारी रहता है और उनमें से एक तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत करता है, तो यह माना जा सकता है कि विवाह टूट गया है। निस्संदेह, न्यायालय को गंभीरता से पक्षकारों के बीच सुलह कराने का प्रयास करना चाहिए; फिर भी, यदि यह पाया जाता है कि संबंध विच्छेद सुधार से परे है, तो तलाक को रोका नहीं जाना चाहिए। अव्यावहारिक विवाह, जो लंबे समय से प्रभावी नहीं है, को कानून में संरक्षित करने के परिणामों का पक्षकारगण के लिए अधिक दुख का स्रोत बनना तय है।

96. मुख्य रूप से दोष के आधार पर तलाक का कानून टूटी हुई शादी से निपटने के लिए अपर्याप्त है। दोष सिद्धांत के तहत, अपराध को साबित करना होता है; तलाक न्यायालयों को मानवीय व्यवहार के ठोस उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जो विवाह संस्था को बदनाम करते हैं।"

[हमारे द्वारा जोर दिया गया]

14. **समर घोष** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने भी “मानसिक क्रूरता” से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान विचार किए जाने वाले दृष्टांतों की एक

विस्तृत सूची दी है। वर्तमान मामले के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक उक्त निर्णय के अंश नीचे दिए गए हैं :-

“101. मार्गदर्शन के लिए कभी भी कोई एक-रूप मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी हम मानवीय व्यवहार के कुछ उदाहरणों को सूचीबद्ध करना उचित समझते हैं जो "मानसिक क्रूरता" के मामलों से निपटने में प्रासंगिक हो सकते हैं। आगे के पैराग्राफ में बताए गए उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं और परिपूर्ण नहीं :-

...

(xiv) जहाँ लंबे समय से लगातार अलगाव रहा है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विवाह संबंध मरम्मत के परे है। कानूनी बंधन द्वारा समर्थित होने के बावजूद विवाह काल्पनिक बन जाता है। ऐसे मामलों में उस बंधन को न तोड़ने से, कानून विवाह की पवित्रता की पूर्ति नहीं करता है; इसके विपरीत, यह पक्षों की भावनाओं और भावों के प्रति कम सम्मान दिखाता है। ऐसी स्थितियों में, इसके कारण मानसिक क्रूरता हो सकती है।”

[हमारे द्वारा जोर दिया गया]

15. उपरोक्त के प्रकाश में तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दम्पति सोलह वर्षों से अधिक समय से बिना किसी बातचीत के अलग-अलग रह रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षकारगण के बीच विवाह को विघटित करने के विचारण न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा।

16. **समर घोष** (पूर्वोक्त) में बताए गए उपरोक्त सिद्धांतों का पालन इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने **वंदना सिंह बनाम सतीश कुमार**, 2022 एससीसी ऑनलाइन डीईएल 19 और **रितेश बब्बर बनाम किरण बब्बर**, 2022 एससीसी ऑनलाइन डीईएल 726 में किया। **वंदना सिंह** (पूर्वोक्त) में, एचएमए

की धारा 13(1)(i) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक देते हुए, समन्वय पीठ ने टिप्पणी की कि पक्षकारों के बीच लंबे समय के अलगाव के कारण, वैवाहिक बंधन सुधार से परे टूट चुका है और इसे जारी रखना मानसिक क्रूरता स्थापित करेगा। इसी तरह, **रितेश बब्बर** (पूर्वोक्त) में, एचएमए की धारा 13(1)(i) के तहत तलाक दिया गया था क्योंकि पक्षकार बारह साल से अलग रह रहे थे और सुलह की कोई संभावना नहीं थी। आगे यह टिप्पणी की गई कि वैवाहिक संबंध को जारी रखना पक्षकारों पर अतिरिक्त क्रूरता करने के बराबर होगा।

17. **समर घोष** (पूर्वोक्त) के निर्णय का अनुसरण हमने हाल ही में **सिमरन बत्रा @ लता बत्रा बनाम दविंदर कुमार कपूर**, 2024:डीएचसी:5813-डीबी में भी किया, जिसमें पक्षकारों को अलगाव की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह टिप्पणी करते हुए तलाक प्रदान किया गया था कि **"लंबे समय तक लगातार अलगाव मानसिक क्रूरता का एक पहलू है; संबंधों को तोड़ना, अंत में, जोड़े के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए बुरा होने की अपेक्षा अच्छा हो सकता है।"**

18. **सिमरन बत्रा** (पूर्वोक्त) में भी टिप्पणी की गई कि परिवार न्यायालय का यह तय करने का संपूर्ण दृष्टिकोण कि किस पक्ष की गलती थी, त्रुटिपूर्ण था। इस संबंध में, उक्त निर्णय से निम्नलिखित अंश का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसे नीचे दिया गया है :-

"15. जैसा कि दोनों अंशों को पढ़ने से स्पष्ट है, विद्वान परिवार न्यायालय के न्यायाधीश ने खुद से गलत प्रश्न किया और इसलिए, हमारी राय में वे गलत निष्कर्ष पर पहुंचे। विद्वान न्यायाधीश ने इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद कि दंपति बीस (20) वर्षों तक एक साथ नहीं रहा था, गलत प्रश्न किया, अर्थात्, गलती किसकी थी? जीवन का अनुभव बताता है कि रिश्ते जटिल और अंतर्निहित होते हैं और इसलिए, कई बार यह निर्धारित करना आसान नहीं होता है कि गलती किसकी है।"

[हमारे द्वारा जोर दिया गया]

19. वर्तमान मामले में आक्षेपित निर्णय, **समर घोष** (पूर्वोक्त) और यहां ऊपर दिए गए उद्धरणों का संदर्भ देने के बावजूद, वर्तमान मामले के तथ्यों पर उन्हें लागू करने में विफल रहा। परिवार न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि पक्षकार लगातार दस वर्ष से अधिक समय से अलग रह रहे थे और विवाह में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी।

20. हमारे विचार में, परिवार न्यायालय को वर्तमान मामले में निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए था :-

- i. पक्षकार दिनांक 25 अप्रैल, 2012 से अलग-अलग रह रहे हैं, जिस दौरान दोनों पक्ष मुकदमेबाजी में उलझे रहे।
- ii. दोनों पक्षों के बीच विश्वास की पूर्णतया कमी है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के लिए बाध्य होना पड़ा, जो स्वीकृत रूप से, अभी भी

न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया में है; यह स्पष्ट संकेत है कि विवाह सुधार की सीमा से परे है।

iii. अपीलार्थी ने भरण-पोषण या गुजारा भत्ते की कोई मांग नहीं की है तथा वह केवल तलाक चाहती है।

iv. चूंकि उक्त विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई है, इसलिए उक्त तलाक से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

21. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने हमारा ध्यान दिनांक 15 मार्च, 2022 को प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को भेजे गए ईमेल की ओर आकर्षित किया है, जिसके साथ आपसी सहमति से तलाक की मांग करने वाली याचिका का मसौदा संलग्न है। प्रत्यर्थी ने यह ईमेल भेजना स्वीकार किया है। हालांकि, उनका कहना है कि बाद में उसने अपना विचार बदल दिया, जो करने का उसे हक था। इस संबंध में प्रत्यर्थी ने *रजत गुप्ता बनाम रूपाली गुप्ता*, 249 (2018) डीएलटी 289 (डीबी) पर भरोसा जताया है। इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि प्रत्यर्थी अपना विचार बदलने का हकदार था, हालांकि, प्रत्यर्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसने अपना विचार क्यों बदला। उपरोक्त ईमेल से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रत्यर्थी ने आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेने पर भी विचार किया था।

22. प्रत्यर्थी द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में, तलाक प्रदान किए जाने का विरोध करने के लिए दिया गया औचित्य यह है कि यह उस पर और उसके

परिवार पर "अपमान" और "कलंक" लाएगा। हम इस प्रस्तुति की विवेचना करने में विफल रहे। हमारे विचार में, वर्तमान समय में, तलाक दिए जाने पर प्रत्यर्थी पति या पत्नी या उनके परिवारों पर कोई "अपमान" या "कलंक" नहीं आएगा। वर्तमान मामले में, दोनों पक्षकार अच्छी तरह से शिक्षित हैं और इसलिए, यह तर्क पचाना मुश्किल है कि तलाक प्रदान किया जाना पति या पत्नी में से किसी के लिए कलंक होगा। इसके विपरीत, एक कटुता भरी शादी से पक्षकारों और उनके परिवारों पर होने वाली लगातार मानसिक पीड़ा और आघात को सहन करना इससे बहुत कठिन है।

23. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इन कार्यवाहियों में भी, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेज कर विवाह को बचाने का प्रयास किया गया था। मध्यस्थता केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया कि ***“पक्षकार अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं और मध्यस्थता की कार्यवाही जारी रखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है”*** और इसलिए, कार्यवाही ***“असफल”*** थी। यह पर्याप्त रूप से दर्शाता है कि पक्षकारों के बीच विवाह सुधार से परे है।

24. हमारा मानना है कि विवाह को इससे आगे जारी रखने से पक्षकारों को आघात पहुंचेगा तथा यह मानसिक क्रूरता जारी रखने के समान होगा।

25. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है और आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी

और प्रत्यर्थी के बीच विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i) के तहत विघटित माना जाएगा।

26. रजिस्ट्री को तदनुसार एक डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

27. लंबित आवेदनों के साथ अपील का निपटान किया जाता है।

अमित बंसल
(न्यायाधीश)

राजीव शकधर
(न्यायाधीश)

13 अगस्त 2024

डी एस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।